छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा | पंचादश सत्र | अंक-02

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 दिसम्बर, 2022

(अग्रहायण 11, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. जुलाई 2022 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-ख की अपेक्षानुसार जुलाई, 2022 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया ।

2. नियम 267-क के अधीन जुलाई, 2022 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियम 267-क के अधीन जुलाई, 2022 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

3. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक गुरुवार, दिनांक 1 दिसम्बर, 2022 में लिए गए निर्णय अनुसार निम्नलिखित वित्तीय एवं विधायी कार्य पर चर्चा के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है, जो इस प्रकार है :-

शुक्रवार, 2 दिसम्बर, 2022

1.	**वित्तीय कार्य**	**निर्धारित समय**
(1)	वित्तीय वर्ष 2022-2023 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण	**3 घण्टे**
2.	**शासकीय विधि विषयक कार्य**	
(1)	छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022	2 **घण्टे**
(2)	छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022	1 **घंटा**
3.	**शासकीय संकल्प**	
	" यह सदन राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के हितों के रक्षण के लिए पारित छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोंधित) विधेयक,2022 को संविधान की अनुसूची-9 में सम्मिलित करने के लिए भारत सरकार को आवश्यक कदम उठाने हेतु अनुरोध करता है। "	1 **घंटा**

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि वर्तमान सत्र की अवधि में वृद्धि करते हुये आगामी बैठकें सोमवार, दिनांक 2 जनवरी, 2023 से शुक्रवार, दिनांक 6 जनवरी, 2023 तक रखी जावे।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4.सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री सत्यनारायण शर्मा

(2) श्री धनेन्द्र साहू

(3) श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह

(4) श्री शिवरतन शर्मा

(5) श्री बघेल लखेश्वर

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री अजय चन्द्राकर, सभापति, लोक लेखा समिति, ने लोक लेखा समिति का इक्यानबेवां से एक सौ एकवां तक (11) प्रतिवेदन प्रस्तुत किये ।

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 के उप नियम (1) तथा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 24 को शिथिल कर-

(1) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक -18 सन् 2022) तथा

(2) छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022(क्रमांक -19 सन् 2022) की महत्ता तथा उपादेयता को दृष्टिगत् रखते हुए इसे आज ही पुर:स्थापन, विचार एवं पारण की अनुमति प्रदान की है ।

मैं, समझता हूं सदन इससे सहमत है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

7. पृच्छा

श्री अजय चन्द्राकर,सदस्य ने विशेषाधिकार भंग की सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग की।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि आपके द्वारा दी गई विशेषाधिकार भंग की सूचना मेरे समक्ष विचाराधीन है।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि आज की कार्यसूची में संकल्प, विधेयक सम्मिलित है, विशेष सत्र के नाम पर अन्य कार्य भी आ गये हैं, इस पर तत्काल व्यवस्था दिये जाने की मांग की ।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने भी इस पर विचार व्यक्त किये ।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि यह कार्यमंत्रणा समिति के निर्णय के पश्चात् आया है।

8. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आगामी वित्तीय वर्ष 2023-2024 का बजट ई-बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है । सभा में आवश्यक तकनीकी व्यवस्थायें यथा समय की जायेगी ।

मैं, समझता हूं सदन इससे सहमत है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

9. वित्तीय वर्ष 2022-2023 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2022-2023 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया ।

माननीय अध्यक्ष ने द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिये आज शुक्रवार, दिनांक 2 दिसम्बर, 2022 की तिथि निर्धारित की ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने विशेषाधिकार भंग की सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग की ।

श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष ने कथन किया कि विशेष सत्र में सामान्य रूप से यह परम्परा नहीं होती है, अनुपूरक की जानकारी हमें यहां आने के बाद मिली, माननीय सदस्य तैयारी करके नहीं आये हैं । सामान्य रूप से सदन की ऐसी परम्परा नहीं है ।

10. बहिर्गमन

श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा अनुपूरक पर चर्चा में भाग न लेने का उल्लेख करते हुये सदन से बहिर्गमन किया गया।

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक -18 सन् 2022) पुर:स्थापित किया ।

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक -19 सन् 2022) पुर:स्थापित किया ।

12. वित्तीय वर्ष 2022-2023 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि-अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है । अत: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

(सदन द्वारा सहमति दी गई।)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 51, 54, 55, 56, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 79 एवं 81 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को कुल मिलाकर चार हजार तीन सौ सैंतीस करोड़, पचहत्तर लाख, तिरानवें हजार, आठ सौ बत्तीस रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री मोहन मरकाम, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया ।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

अनुपूरक अनुदान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

13. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ विनियोग (क्रमांक -4) विधेयक, 2022 (क्रमांक 20 सन् 2022)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -4) विधेयक, 2022 (क्रमांक 20 सन् 2022) पुर:स्थापित किया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने विधेयक के पुर:स्थापन पर आपत्ति ली कि कोई भी विधेयक प्रस्तुत करने के लिये दो दिन पूर्व उसकी सूचना देनी चाहिये।

शुक्रवार, 2 दिसम्बर, 2022

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि पूर्व में भी अनुपूरक का उपस्थापन, मांगों पर चर्चा एवं मतदान के पश्चात् विधेयक का पुर:स्थापन कर उस पर विचार एवं पारण हो चुका है ।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2022 (क्रमांक 20 सन् 2022) पर विचार किया जाये।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2022 (क्रमांक 20 सन् 2022) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(2) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक -18 सन् 2022)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक -18 सन् 2022) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा होनी है । पूरे प्रदेश की ही नहीं देश की नजर इस तरफ है । आप अपने व्यवहार को संयमित रखिये और विधेयक पर चर्चा होने दीजिये ।

सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष ने व्यवस्था की मांग की कि जब छत्तीसगढ़ की सरकार आरक्षण के विषय को लेकर स्वयं सुप्रीम कोर्ट गई है तो क्या हम इस सदन में उस विषय पर चर्चा कर सकते हैं ?

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने भी इस संबंध में विचार व्यक्त किये ।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये ।)

(निरंतर व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 12.35 बजे स्थगित की जाकर 1.22 बजे समवेत हुई ।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

14. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

श्री अजय चनद्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
श्री मोहन मरकाम,

(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री ननकीराम कंवर, संतराम नेताम,

(सभापति महोदय (श्री बघेल लखेश्वर) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, कवासी लखमा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, डॉ. रमन सिंह, सर्वश्री बृहस्पत सिंह, शिवरतन शर्मा,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष ने बस्तर के जगदलपुर में मूरम खदान धसकने से 7 मजदूरों की मौत और 12 मजदूरों के उसमें दबे होने का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री से इस घटना के बारे में वक्तव्य देने का आग्रह किया।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने इस संबंध में जानकारी लेकर सदन को अवगत कराने हेतु आश्वस्त किया।

15. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

सर्वश्री अमरजीत भगत, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, धरमलाल कौशिक,

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची के पद क्रम 10 का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, श्री रामकुमार यादव,

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री सौरभ सिंह, शिशुपाल शोरी, रजनीश कुमार सिंह, नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 से 3 इस विधेयक का अंग बने।

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि विधेयक के खण्ड 4 के पद (एक) में सर्वश्री पुन्नूलाल मोहले, धर्मजीत सिंह, केशव प्रसाद चन्द्रा, श्रीमती इन्दू बंजारे, श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्यों की ओर से संशोधन प्राप्त हुए हैं ।

श्री पुन्नूलाल मोहले सदस्य ने प्रस्ताव किया कि खण्ड 4 के पद (क) में अंक एवं शब्द में "13 प्रतिशत" के स्थान पर " 16 प्रतिशत" तथा " 4 प्रतिशत" के स्थान पर " 10 प्रतिशत" किया जाये एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

संशोधन प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, केशव प्रसाद चन्द्रा, श्रीमती इन्दू बंजारे, श्री प्रमोद कुमार शर्मा

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया एवं माननीय सदस्यों से संशोधन वापस लेने का आग्रह किया ।

श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य एवं अन्य सदस्यों द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई ।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक -18 सन् 2022) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(3) छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक-19 सन् 2022)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक-19 सन् 2022) पर विचार किया जाये तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, प्रमोद कुमार शर्मा, पुन्नूलाल मोहले, केशव प्रसाद चन्द्रा

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि विधेयक के खण्ड 2 के पद (ख) तथा पद (घ) में सर्वश्री पुन्नूलाल मोहले, धर्मजीत सिंह, केशव प्रसाद चन्द्रा, श्रीमती इंदू बंजारे, श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्यों की ओर से संशोधन प्राप्त हुए हैं।

श्री पुन्नूालाल मोहले सदस्य ने प्रस्ताव किया कि खण्ड 2 के पद (ख) तथा पद (घ) में शब्द "तेरह प्रतिशत" के स्थान पर "सोलह प्रतिशत" तथा पद (घ) में शब्द "चार प्रतिशत" के स्थान पर "दस प्रतिशत" किया जाये एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

संशोधन प्रस्तुत हुआ।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक-19 सन् 2022) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

16. अध्यक्षीय उद्गार

आज छत्तीसगढ़ विधान सभा के लिये ऐतिहासिक दिन है । मैं सदन के सदस्यों को बधाई देता हूं कि आज लगभग 7 घंटे से ज्यादा लंबी चर्चा के बाद प्रदेश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये और गरीब वर्ग के कल्याण के लिये एक ऐतिहासिक विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

17. पृच्छा

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष ने शासकीय संकल्प की वैधानिक प्रक्रिया के संबंध में व्यवस्था देने की मांग की ।

18. व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि प्रश्नगत संकल्प छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली के अध्याय 13 में वर्णित संकल्प संबंधी प्रावधानों, नियमों के अनुरूप होने के कारण ही मैंने इसे ग्राह्य किया है। आज की कार्यसूची में सम्मिलित किये जाने के पूर्व कार्यमंत्रणा समिति के समक्ष भी इस संकल्प पर चर्चा का प्रस्ताव उपस्थित किया गया था व चर्चा हेतु आज के लिये समय निर्धारित हुआ था। तत्संबंधी कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन भी सभा द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है । इस प्रकार प्रश्नगत संकल्प नियमानुरूप होने के कारण ही स्वीकार किया गया है। संकल्प नियमों के अंतर्गत ही ग्राह्य किये जाते हैं । अतः स्वीकृत संकल्प के विषय वस्तु पर आपत्ति करना उचित नहीं है । केन्द्र सरकार के विषयों पर इस सदन को अनुशंसा करने, अनुरोध करने का अधिकार है । राज्य शासन कोई भी संकल्प ला सकता है, उसके माध्यम से केन्द्र शासन से अनुरोध किया जा सकता है । इस पर किसी प्रकार की आपत्ति का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने भी इस संबंध में विचार व्यक्त किये ।

शुक्रवार, 2 दिसम्बर, 2022

19. शासकीय संकल्प

1. सदन का यह मत है कि "यह सदन राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों के रक्षण के लिये पारित छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधित) विधेयक, 2022 को संविधान की अनुसूची-9 में सम्मिलित करने के लिये भारत सरकार को आवश्यक कदम उठाने हेतु अनुरोध करता है। "

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री अजय चन्द्राकर, श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष

20. बहिर्गमन

श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा संकल्प के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

21. शासकीय संकल्प (क्रमश:)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

संकल्प स्वीकृत हुआ।

22. वक्तव्य

श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री ने जिला जगदलपुर के थाना नगरनार के ग्राम मालगांव में मिट्टी धसकने संबंधी घटना के संबंध में वक्तव्य दिया।

रात्रि 08.08 बजे विधान सभा की कार्यवाही, सोमवार, दिनांक 2 जनवरी, 2023 (पौष-12, शक संवत् 1944) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा